:: कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण ::

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0–किसान) योजना

इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सभी श्रेणी के (लघु,सीमान्त एवं बड़े) किसान पात्र हैं। भूमि की की कोई सीमा नहीं है। निम्नांकित छः श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपात्र हैं :–

- भूतपूर्व अथवा वर्तमान में संवैधानिक पदधारक
- भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री एवं भू0पू0/वर्तमान सदस्य लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषद, भू0पू0 अथवा वर्तमान नगर महापालिका के मेयर, भू0पू0 अथवा अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष।
- केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय/विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी,केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अर्द्ध सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय एवं स्वायत्तशासी संस्थान तथा स्थानीय निकायों के नियमित कार्मिक(चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के कार्मिकों को छोड़कर)
- लाभार्थी कृषक द्वारा विगत कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया गया है।
- समस्त सेवानिवृत्त पेंशन धारक, जिनकी मासिक पेंषन रू0 10,000 या उससे अधिक है। (चतुर्थ श्रेणी/समूह घ के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर)
- पेशेवर डाक्टर,इन्जीनियर,अधिवक्ता,चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व आर्कीटेक्ट आदि,जो सम्बन्धित पेशे के लिये पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत हैं और अपना पेशा कर रहे हैं।

जनपद में लगभग 06 लाख कृषकों का डाटा पी0एम0किसान पोर्टल पर ऑनलाइन फीड किया जा चुका है और लगभग 4.75 लाख किसानों के खातों में इस योजना की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। यह जनपद प्रदेश में सबसे अधिक किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने में अग्रणी है। कतिपय कारणोंवश जो पात्र कृषक अब तक अपना पंजीकरण नहीं करा सके हैं, वे अपने आवश्यक प्रपत्र यथा खतौनी,आधार कार्ड,बैंक खाते की छायाप्रतियों के साथ अपना घोषणापत्र प्रत्येक राजकीय कार्यदिवस में प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक जनपद मुख्यालय पर जिला कृषि अधिकारी, हरदोई अथवा उप कृषि निदेषक,हरदोई के कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध करा दें अथवा प्रत्येक मंगलवार को अपनी तहसील मुख्यालय पर प्रातः 9:00 बजे से 11:00 बजे तक उपस्थित होकर अपने आवश्यक प्रपत्र सहित अपना घोषणापत्र उपलब्ध करा दें और ताकि उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

2. कृषि यंत्रों के वितरण की योजना

कृषि यंत्रों के वितरण हेतु फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेन्टर,इन–सीटू मैनेजमेन्ट से सम्बन्धित कृषि यंत्र अनुदान पर ''प्रथम आवक प्रथम पावक'' एवं ''पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, पहले

लाभ पाओ''के आधार पर कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इस हेतु उप कृषि निदेषक,हरदोई कार्यालय में 01.08.2019 से 10.08.2019 तक रू0 1.00 लाख तक अनुदान वाले यंत्रों हेतु रू 2500 एवं रू0 1.00 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों हेतु रू0 5000 का ड्राफ्ट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्रत्येक तहसील समाधान दिवस के अवसर पर कृषि यंत्र मेला आयोजित किया जायेगा जिसमें भी किसान भाई अपना पंजीकरण करा सकते हैं और कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं।

3. प्रमाणित बीजों,कृषि रक्षा रसायनों तथा जिप्सम वितरण की योजना

प्रमाणित बीजों, कृषि रक्षा रसायनों अथवा जिप्सम को अनुदान पर प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों को उक्त कृषि निवेश 50 प्रतिषत अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रमाणित बीजों पर अनुदान प्रत्येक दूसरे वर्ष (एक साल के अन्तराल के बाद) प्राप्त हो सकेगा।

4. ऋण मोचन योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनपद के 1,23,834 कृषकों का लगभग 700 करोड़ रूपये का ऋण मोचन कराते हुये जनपद ने **पूरे प्रदेष में प्रथम स्थान** प्राप्त किया है।

डा0 आशुतोष कुमार मिश्र
उप कृषि निदेशक
हरदोई
मोबाइल नम्बर–9450546677